Sevo 15

# Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Registered Office: 101 A, Rail Bhawan, New Delhi- 110001, Web: www.dfccil.org

**No. HQ/PIO/RTI/219/14** **Date: 07.10.2014**

Shri Ramkumar Sharma,
4/4339, Ansari Road,
Dariya Ganj, New Delhi.

**Sub:** Information under RTI Act- 2005
**Ref:** Your application dt: 16.08.2012, (Downloaded from Railway Board site after receipt of hearing notice from Rly. Board, First time on 09.09.2014).

आपके आवेदन के सम्बंध में संबंधित विभाग द्वारा मदवार प्राप्त सूचनाएं निम्नलिखित हैं:-

1. पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर योजना रेल मंत्रालय के अधिन है और पीएम ओ कार्यालय द्वारा केवल मॉनीटरिंग की जा रही है।
2. खुर्जा से गांव पल्ला तक भूमि अधिग्रहण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है।
3. इस बिंदु में वांछित सूचना निम्नवत है:-

| खुर्जा – दादरी खण्ड पर मेरठ यूनिट से सम्बंधित ग्रामों में सक्षम प्राधिकारी/आर्बीट्रेटर द्वारा निर्धारित अर्जित भूमि के बाजार मूल्य का विवरण- | | |
|---|---|---|
| क. सं. | ग्राम का नाम | निर्धारित बाजार मूल्य (प्रति हे.) |
| 1.. | मैना मोजपुर (खुर्जा.) | 37,85,600.00 (आयुक्त महोदय द्वारा) |
| 2. | इब्राहिमपुर जुनैदपुर उर्फ मोजपुर | 37,85,600.00 (आयुक्त महोदय द्वारा) |
| 3. | सुल्तानपुर | 31,84,900.00 (आयुक्त महोदय द्वारा) |
| 4. | समसपुर | 35,57,312.00 (सड़क के पास)<br>21,73,913.00(सड़क के दूर)<br>(सक्षम अधिकारी द्वारा) |
| 5. | कमालपुर मजरा भदौरा | 57,63,500.00(सड़क के पास)<br>49,23,700.00(सड़क के दूर)<br>(आयुक्त महोदय द्वारा) |
| 6. | भदौरा | 50,91,700.00(आयुक्त महोदय द्वारा) |
| 7. | खबरा | 52,77,300.00(आयुक्त महोदय द्वारा) |
| 8. | खानपुर | 51,69,700.00(आयुक्त महोदय द्वारा) |
| 9. | कादरपुर | 28,96,400.00(आयुक्त महोदय द्वारा) |
| 10. | गांगरौल | 35,8,100.00(आयुक्त महोदय द्वारा) |
| 11. | अस्तौली | 45,00,000.00(सक्षम अधिकारी द्वारा) |
| 12. | देवटा | 45,00,000.00(सक्षम अधिकारी द्वारा) |
| 13. | खैरली हाफिजपुर | 50,00,000.00(सक्षम अधिकारी द्वारा) |
| 14. | जमालपुर | 40,00,000.00(सक्षम अधिकारी द्वारा) |
| 15. | रघुनाथपुर | 45,00,000.00(सक्षम अधिकारी द्वारा) |
| 16. | चिरसी | 45,00,000.00(सक्षम अधिकारी द्वारा) |
| 17. | रिठौरी | 85,00,000.00(सक्षम अधिकारी द्वारा) |
| 18. | अजायबपुर | 85,00,000.00(सक्षम अधिकारी द्वारा) |
| 19. | कमरैला चकसेनपुर | 85,00,000.00(सक्षम अधिकारी द्वारा) |
| 20. | चमरावली रामगढ़ | 1,10,97,789.00(सक्षम अधिकारी द्वारा) |
| 21. | चमरावली बोढ़ाकी | 81,40,769.00(सक्षम अधिकारी द्वारा) |
| 22. | पल्ला | 77,41,339.00(सक्षम अधिकारी द्वारा) |

1. ग्राम खुर्जा से ग्राम पल्ला तक प्रभावित किसानों/भू–स्वामियों की आपत्तियां सम्बधिंत सक्षम अधिकारी द्वारा सुनी गयी है तथा आपत्तियों का निस्तारण सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है, जिसका उल्लेख प्रत्येक ग्राम के अभिनिर्णय में सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है। अभी तक बिना आपत्ति की सुनवाई किए निस्तारण किए जाने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।
2. प्रभावित किसान यदि अभिनिर्णय से संतुष्ठ नहीं है तो आपना प्रार्थना पत्र वर्तमान में आर्बिट्रेटर/आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। श्री भूपेंद्र सिंह आई.ए.एस. वर्तमान में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के पद पर कार्यरत है, जिनके कार्यालय का दूरभाष नं. 0121–2656878 है।
3. ग्राम चिरसी जिला गौतमबुद्वनगर का अभिनिर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जा चुका है। अर्जित भूमि का बाजार मूल्य सक्षम अधिकारी द्वारा रू. 76,50,000.00 प्रति हे. निर्धारित किया गया है, जिस पर रेल संशोधन अधिनियम, 2008 की धारा 20एफ(3) के अनुसार 10 प्रतिशत सुखाधिकार व 20 एफ(9) के अनुसार 60 प्रतिशत सोलेशियम देय है। प्रतिकर वितरण की कोई सीमा अभी तक निर्धारित नहीं की गयी है।
4. उक्त योजना के अंतर्गत गांव की जो भूमि ग्रेटर नोएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत है, वह भूमि ग्रेटर नोएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण से प्राप्त की जाएगी तथा जो भूमि प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं है उसका अभिनिर्णय सम्बधिंत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है। भूमि का अर्जन रेल संशोधन अधिनियम, 2008 के अंतर्गत किया जा रहा है।
5. इस परियोजना के अंतर्गत अर्जित भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त प्रभावित किसान/भू–स्वामी का स्थायी क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु 60 प्रतिशत सोलेशियम (अतिरिक्त प्रतिकर) व 10 प्रतिशत सुखाधिकार की धनराशि देय है तथा राष्ट्रीय पुर्नवास व पुर्नस्थापन नीति 2007 के परीपेक्ष में निर्गत मौलिक पात्रता दिनांक 13.06.2011 के अनुसार 1500 वर्ग मी. तक अर्जित भूमि रू. 20,000.00 तथा 1500 वर्ग मी. से उपर रू. 15 प्रति वर्ग मी. की दर से अनुग्रह धनराशि देय है। यदि प्रभावित किसान/भू–स्वामी द्वारा प्रतिकर प्राप्त करने से 1 वर्ष की अवधि के अंतर्गत अन्यत्र भूमि कय की जाती है तो स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण शुल्क की धनराशि दी जाएगी। इस परियोजन में 7 प्रतिशत विकसित जमीन का प्लाट तथा अन्य कोई मुआवजा दिए जाने का प्राविधान नहीं है, इस परियोजना के लिए नौकरी संबंधी कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।
6. कार्य प्रगति पर है एवं खुर्जा दादरी के मध्य समापन की कोई तिथि निर्धारित नहीं है।
7. इस तरह की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त के अतिरिक्त माननीय कमीशन के आदेशानुसार निम्न 3 बिंदुओं की सूचना भी आपको प्रेषित कि जाती है।

a) What is the rate of compensation to be given to the farmers whose land was falling between Ajabpur And Chola;

| वांछित सूचना | प्रति उत्तर |
|---|---|
| (ए) अजायबपुर से चोला के बीच में अर्जित भूमि से सम्बन्धित कास्तकारों को किस दर से प्रतिकर का भुगतान किया जा रहा है। | अजायबपुर से चोला के मध्य पड़ने वाले ग्रामों की अर्जित भूमि की दर ग्रामवार निम्नवत है–<br>1. अजायबपुर–1,44,50,000.00 प्रति हे0<br>2. रिठौरी–1,44,50,000.00 प्रति हे0<br>3. चिरसी–76,50,000.00 प्रति हे0<br>4. रघुनाथपुर–76,50,000.00 प्रति हे0<br>5. जमालपुर–68,00,000.00 प्रति हे0<br>6. खेरली हाफिजपुर–85,00,000.00 प्रति हे0<br>7. देवटा–76,50,000.00 प्रति हे0<br>8. अस्तौली–76,50,000.00 प्रति हे0<br>9. महीपा जागीर–94,07,115.00 प्रति हे0<br>10. सलौनी उर्फ रौनी–53,75,494.00 प्रति हे0 (लिंक मार्ग के समीप)<br>–41,10,672.00 प्रति हे0 (लिंक मार्ग से दूर) |

| | |
|---|---|
| | 11. मकरन्दपुर उर्फ फतेहपुर–50,59,288.00 प्रति हे0<br>12. भौरा–82,21,344.00 प्रति हे0 (मुख्य मार्ग के समीप)<br>–69,56,522.00 प्रति हे0 (लिंक मार्ग के पास)<br>–50,59,288.00 प्रति हे0 (सड़क/लिंक मार्ग से दूर)<br>13. बैर बादशाहपुर–82,21,344.00 प्रति हे0 (मुख्य मार्ग के समीप)<br>–50,59,288.00 प्रति हे0 (सड़क/लिंक मार्ग से दूर)<br>14. अरौड़ा–69,56,522.00 प्रति हे0 (लिंक मार्ग के पास)<br>–51,24,621.00 प्रति हे0 (सड़क/लिंक मार्ग से दूर)<br>15. फतेहपुर जादौ–66,40,317.00 प्रति हे0 (लिंक मार्ग के पास)<br>–50,83,946.00 प्रति हे0 (सड़क/लिंक मार्ग से दूर)<br>16. गांगरौल (चोला)–50,59,288.00 प्रति हे0 |

b) Copy of list of compensation to be paid to the various villagers;

| | |
|---|---|
| (ब) विभिन्न कास्तकारो की सूची जिन्हें प्रतिकर का भुगतान किया गया है | सक्षम अधिकारी कार्यालय से सम्बन्धित है। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण सक्षम अधिकारी, बु0शहर व गौतमबुद्धनगर को 6(3) के तहत स्थानांतरित कर दिया गया है। (copy enclosed). |

c) What is the policy for giving employment, as part of rehabilitation programme, to a member of each family whose land had been acquired.

| | |
|---|---|
| (स) पुर्नवास नीति के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार, जिनकी भूमि अधिग्रहित की गयी है, के सदस्य को नौकरी दिए जाने के सम्बन्ध में क्या नीति है। | इस परियोजना के लिए नौकरी संबंधी कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। |

इसके अतिरिक्त यदि कोई सूचना अपेक्षित हो तो कृप्या इस कार्यालय को सूचित करें।

(Rajiv Bhatnagar)

DGM/PIO

Copy to:

1. CPIO/RTI Cell, Railway Board – in reference to Board's letter no. RB/RTI/2012/010027824/CIC dt. 22.09.2014 & dt. 03.09.2014.
2. CPM/Meerut

DESPATCH